संख्या - 010/वी.जी.एल/035
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 12.01.2012

**परिपत्र संख्या 01/01/2012**

**विषय: ई-प्रापण प्रणाली की गुणवत्ता की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश ।**

**संदर्भ: आयोग का दिनांक 23.06.2010 का परिपत्र सं0 23/06/010 ।**

आयोग वर्ष 2006 से भ्रष्टाचार प्रवण गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी का सशक्तीकरण किए जाने का समर्थन करता रहा है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा माल, कार्यों तथा सेवाओं के लिए ई-प्रापण का अंगीकरण, एक महत्वपूर्ण पहल थी । आयोग ने सभी संगठनों को ई-प्रापण प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी तथा उन्हें अपनी प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्रमाणित करवाने की सलाह दी ।

2. परिणामस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने सम्बद्ध कार्यालय मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (ST&C) Directorate से अनुरोध किया कि ई-प्रापण प्रणालियों का प्रमाणन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तथा प्रणालियां स्थापित करें । तदनुसार, इस संबंध में मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा तैयार किए गए तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित तथा अधिसूचित किए गए दिशानिर्देश egovstandards website (www.egovstandards.gov.in) पर उपलब्ध हैं । यह दिशानिर्देश आयोग की वेबसाईट www.cvc.nic.in पर भी उपलब्ध हैं (लिंक/परिपत्र/अनुदेश) । सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सलाह दी जाती है कि ई-प्रापण प्रणालियों को प्रमाणित करने के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु इन दिशानिर्देशों का प्रयोग करें ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

सभी मंत्रालयों / विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारी
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों तथा संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी